



प्रेस नोट

दिनांक- 19.10.2024

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देश में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.10.2024 को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त रमाकान्त राजपूत पुत्र राकेश (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी ग्राम धमना थाना राठ जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 457/24 धारा 9(1) A (1)/25 (2) आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

रमाकान्त राजपूत पुत्र राकेश (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी ग्राम धमना थाना राठ जनपद हमीरपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 518/23 धारा 323/504/506 भादसं थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिवम दत्त
2. उ0नि0 रोहित साहू
3. हे0का0 रावेन्द्र सोनकर
4. का0 जितेन्द्र यादव

